

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर  
विविध बैंक प्रकरण संख्या 173/2022(GCMS : 2022/259)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री बनवारी लाल कुक्कड, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर

बनाम

1. मैसर्स रामदेव फ्लोर मिल जरिये प्रोपराईटर श्री विनोद कुमार कामरा पुत्र स्व. श्री भगवान दास मार्फत दुकान नं. 25-26, रेल्वे स्टेशन रोड, श्रीविजयनगर, जिला-श्रीगंगानगर (राज.) एवं निवासी मकान न. 5, सी ब्लॉक, वार्ड नं. 9, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. श्रीमती रामी देवी पत्नी स्व. श्री भगवान दास निवासी मकान नं. 5, सी ब्लॉक, वार्ड नं. 9, श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

31.07.2023



पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से विद्धो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स रामदेव फ्लोर मिल एवं रामी देवी द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रामी देवी की सम्पत्ति Hypothecation of Stock और दुकान नं. 25 व 26, रेल्वे स्टेशन रोड (क्षेत्रफल 341.25 वर्गफुट), श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 07.11.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरुद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात् नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं




जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 07.11.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स रामदेव फ्लोर मिल एवं रामी देवी के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में रामी देवी की सम्पत्ति Hypothecation of Stock और दुकान नं. 25 व 26, रेल्वे स्टेशन रोड (क्षेत्रफल 341.25 वर्गफुट), श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं अर्थात् नॉट प्रैस करते हैं। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अंशदीप)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर  
ओ संयानगर